

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधि
अलवर [राज०]

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही

18.2.21

पत्रावली पैरा हुई | वकील उभयपक्ष उपस्थित |
वकील अपीलकर्ता ने विवेक किया कि वो तरतीबी
रेस्यो की ओर से अपना बहालतनामा पैरा
कर देगे | पत्रावली वास्ते पैरा को बहालतनामा
दि- 25.2.21 को पैरा हो |

पुनश्च :- षष्ठ्य हेतु पत्रावली पियत की
जाती है |

इतना लिखने के बाद रेस्यो ने
राजस्व वाड सं. 139/2014 में पारित
आदेश दि. 11.2.21 की प्रति पैरा कर सिंडन
किया कि मूल निस्तारित हो चुका है | इसलिसे
यह अपील प्रमानहीन होने के कारण खारिज
की जाने |

इसने पत्रावली का अनलोकन किया
उक्त राजस्व वाड सं. 139/2014 के आदेश
दि. 11.2.21 की प्रमाणित का अनलोकन किया
तो पत्रावली प्रकार से संबंधित मूल
वाड 017R3 में नए न्यायालय द्वारा
खारिज कर दिया गया है | ऐसी स्थिति
में द्वारा 212 R.T. एक्ट के क्लॉक
पैरा की गई यह अपील इन्फेच्युस
(प्रमानहीन) होने के कारण खारिज की
जाती है | पत्रावली फैसल मुआ लेखा
नम्बर से कम हो | दाखिल दस्तावेज |

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर